न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A-€
1

...न अधिकारी— करतार सिंह,
आर.ए.एस.

...सल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78 / अपील / 19	03.12.2019	26.07.2022

विनोद कुमार जैन आ0 बाबूलाल जाति जैन निवासी पीपल्या तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार जैन गोद पुत्र जड़ावचन्द जाति महाजन निवासी पीपल्या ग्राम पंचायत पीपल्या तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. ग्राम पंचायत पीपल्या जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पीपल्या, पंचायत समिति नैंनवा।
3. ग्राम पंचायत पीपल्या जरिये ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत पीपल्या तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से — श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी एड0
रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से — श्री कैलाश गुप्ता एड0
रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह अपील अपीलांट द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत पीपल्या द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 9 दिनांक 06.06.2005 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध दिनांक 15.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पोडेन्ट कम संख्या 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट कम संख्या 2 व 3 द्वारा पट्टा संख्या 9 दिनांक 06.06.2005 को जारी किया गया हैं। उक्त पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पद का दुरूपयोग करते हुये बदनियती से अपीलांट को क्षति कारित करने तथा रेस्पोडेन्ट को लाभ पंहुचाने के उद्धेश्य से अपीलांट के आधिपत्य व स्वामित्व की खातेदारी भूमि पर पट्टा जारी किया गया हैं। रेस्पोडेन्ट का पंचायत राज विभाग 1996 के प्रारंभ होने की तारीख से पिछले 50 वर्षो से पुराना मकान बना होना एवं पुराना कब्जा बताकर अवैधानिक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर 80 फिट व पूर्व से पश्चिम की ओर 45 फिट माप का पट्टा जारी कर दिया हैं। उक्त ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के तथ्य फर्जी, विधान के विपरीत अपीलांट की व्यक्तिगत संपत्ति को ग्राम पंचायत पीपल्या की बताकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया हैं। उक्त भूमि अपीलांट के अधिपत्य की खातेदारी भूमि हैं। रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर निर्माण कराने पर आमादा हैं, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

किये जाने से पूर्व कोई वैधानिक प्रकिया नहीं अपनाई गई हैं, न ही पंचायत द्वारा सार्वजनिक की गई हैं। दिनांक 14.11.2014 को रेस्पोडेन्ट द्वारा पट्टे की छायाप्रति न्यायिक कार्य में पेश की गयी, तब प्रथम बार अपीलांट को हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा उक्त स्थान का पटटा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के में दिनांक 06.06.2005 को जारी होने से प्रस्तुत अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा जारी पट्टा संखा 9 दिनांक 06.06.2005 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2019(2) पेज 570 व डीएनजे 2015(1) राजस्थान पेज 443 की नजीरें प्रस्तुत की गई।

वकील रेस्पोडेन्ट कम संख्या 1 ने दोहराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पोडेन्ट कम संख्या 2 व 3 ने पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर वैधानिक रूप से पट्टा संख्या 9 दिनांक 06.06.2005 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जारी किया गया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुरानी भूमि हैं तथा रेस्पोडेन्ट के आधिपत्य की हैं। उक्त पट्टा रेस्पोडेन्ट के पिता को वर्ष 2005 में आवासीय पट्टा जारी किया गया हैं जो कि रेस्पोडेन्ट का निजी और काफी वर्ष पुराना हैं। उक्त पटटाशुद्धा भूमि खाते की नहीं होकर आवास हेतु उपलब्ध भूमि हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर पट्टा संख्या 9 दिनांक 06.06.2005 को यथावत रखा जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे(राज.) 2012(2) पेज 602, आरएलआर 2002(1) पेज 400 व डीएनजे(राज.) 2012(1) पेज 506 की नजीरें प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 9 दिनांक 06.06.2005 को जारी किया गया हैं, जिसका भू माप 80x45=3600 वर्गफिट हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह जाहिर आया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 06.06.2005 को आवेदन किया गया। सरपंच द्वारा आवेदन पत्र की पुश्त पर आदेशित किया गया कि नियमानुसार कोरम द्वारा मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट कोरम के समक्ष पेश करके कोरम के निर्णय अनुसार पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी जाती हैं। दिनांक 10.07.2005 को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (मौका रिपोर्ट) तैयार की गई हैं, जिस पर 4 गवाहों के हस्ताक्षर अंकित हैं। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच ग्राम पंचायत पीपल्या के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के प्रस्तावित विकय/पुराने मकानों के नियमतिकरण के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 10.07.2005 जारी किया गया हैं। नोटिस की अवधि तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 3 लिया जाकर पट्टा पत्रावली एवं पट्टे का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.09.2005 की अनुपालना में दिनांक 20.09.2005 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 9 दिनांक 06.06.2005 जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की चर्तुथ सीमा का जो नजरी नक्शा तैयार किया गया है उसमें उत्तर अपीलान्ट विनोद जैन के खोत का उल्लेखकिया गया है इस संबंध में अंकित उपखण्ड अधिकरी,नैनवां के प्रकरण संख्या 149/दावा/2014 के निर्णय दिनांक 16.06.2016 मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2016 में बताया गया है कि अराजी खसरा संख्या 269 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा जो कि ओमप्रकाश का हिस्सा 1/2 विनोद कुमार,राजेन्द्र कुमार,लोकेश कुमार,सीन्टु,सीमा पुत्रियां बाबूलाल हिस्सा 1/2 महाजन निवासी पीपल्या के खाते दर्ज है। उक्त अराजी खसरा संख्या 269 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा

अति० जिला कलक्टर

A6/3

[illegible]न किया गया तथा पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 06.06.2005 नाप [illegible] गया जिस के अनुसार 17 फीट पट्टा खसरा संख्या 269 की दक्षिण सीमा मे [illegible]है। उक्त पट्टा श्री जडावचन्द आ0 दुलीलाल जैन जाति महाजन नि0 पीपल्या के [illegible] जारी है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार पंचायत द्वारा पट्टा अवैधानिक जारी होना पाया गया है। हमारी राय में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने से पुर्व भूमि के क्षेत्रफल की पूर्ण जांच कर संतुष्टी के आधार पर पट्टा जारी किया जाना चाहिए। प्रथमदृष्ट्या अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाना प्रतीत होता हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पीपल्या द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 06.06.2005 निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवायी जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतार सिंह)
अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)
अति0 जिला कलक्टर, बूंदी